संख्या– 31 /USDMA-792(2020)

प्रेषक,

सचिव (प्रभारी)
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए. देहरादून:दिनांक: 09 अप्रैल, 2020

विषय– जनपद में वरिष्ठ नागरिक, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं व दैनिक कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्तियों को खाद्यान्न पैकेट/राशन पैकेट उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या–300/USDMA-792(2020)TC दिनांक 26 मार्च, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किये जाने के उपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इससे होने वाले संक्रमण को रोकने के लिये दिनांक 24 मार्च, 2020 की मध्य रात्रि से दिनांक 14 अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक 21 दिवसीय तालाबन्दी (लॉकडाउन) की घोषणा की गयी है। उक्त के क्रम में राज्य में अवस्थित समस्त व्यापारिक, सार्वजनिक व सरकारी प्रतिष्ठानों/संस्थाओं द्वारा उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि सभी जनपदों में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलायें व दैनिक कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति निवासरत हैं और तालाबन्दी की अवधि में इन्हें कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अतः उक्त व्यक्तियों हेतु खाद्यान्न की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत इन व्यक्तियों के लिये प्रतिदिन पर्याप्त संख्या में फूड/राशन पैकेट तैयार कर वितरित किये जाने आवश्यक हैं।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही की सूचना प्रत्येक कार्य दिवस में सचिवालय परिसर अवस्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

9/4/2020

(एस. ए. मुरूगेशन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

(एस. ए. मुरूगेशन)
सचिव (प्रभारी)